

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) श्रीमति नेहा देवी पति- श्री सुरेन्द्र उराँव, 2.) सुसीता कुमारी पति- बिरेन्द्र उराँव, 3.) रमेश उराँव पिता- रतनू उराँव, ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 29 (रैयती भूमि) खाता सं. 134 एवं 278 के अधीन प्लॉट सं. 495, 543, 545P, 633, 653, 657, 489 एवं 636/क कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) थाना सं. 29 (रैयती भूमि) खाता सं. 134 एवं 278 के अधीन प्लॉट सं. 495, 543, 545P, 633, 653, 657, 489 एवं 636/क कुल रकबा - 06.00 एकड़ भूमि के तहत 1.) श्रीमति नेहा देवी पति- श्री सुरेन्द्र उराँव, 2.) सुसीता कुमारी पति- बिरेन्द्र उराँव, 3.) रमेश उराँव पिता- रतनू उराँव, ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम- सराधू, थाना- टंडवा जिला - चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्व नाथ (15)
26/06/22